राष्ट्रीय संस्करण

# दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 261

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार , 27 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

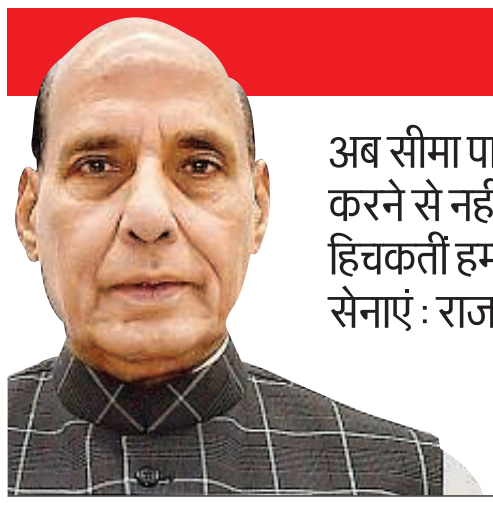

अब सीमा पार करने से नहीं हिचकतीं हमारी सेनाएं : राजनाथ

>>6

## सरोकार

### केंचुओं के कारोबार ने बना दिया करोड़पति

**मेरठ** : एक किलो केंचुए से शुरू किया रोजगार आज दो करोड़ रुपये के टर्न ओवर तक पहुंच चुका है। मेरठ निवासी अमित त्यागी ने एमबीए करने के बाद नौकरी की जगह स्वउद्यम को तरजीह ही और आज लोगों को रोजगार दे रहे हैं। (पेज-10)

## जागरण विशेष

### ह से हिंदू, म से मुसलमान, हम यानी हिंदुस्तान...

**अमेठी** : दो बुजुर्ग दोस्त 82 साल के बकरीदी और 85 के कृष्णदत्त लोगों के लिए मिसाल हैं। कहते हैं, ह पहले है यानी हिंदू बड़े भाई और म बाद में मतलब मुस्लिम छोटे भाई की भूमिका में है। दोनों का मेल ही हिंदुस्तान को अलग बनाता है। (पेज-10)

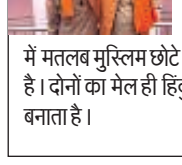

## न्यूज गैलरी

**राज-नीति** ▶ पृष्ठ 3

### भारत ने यूएनएससीआर में पाक और तुर्की को दिखाया आईना

**नई दिल्ली** : भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएससीआर) की बैठक में कश्मीर मामले पर पाकिस्तान और तुर्की को आईना दिखाया है। भारत ने स्पष्ट कहा कि कश्मीर भारत का है और रहेगा। तुर्की को भी नसीहत दी है कि उसे उन मुद्दों में नहीं पड़ना चाहिए जिसकी जानकारी न हो।

**नेशनल न्यूज** ▶ पृष्ठ 6

### दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दें : नरवाने

**श्रीनगर** : थल सेनाध्यक्ष एमएम नरवाने ने उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम सैन्य चौकियों पर तैनात जवानों का उत्साहवर्द्धन किया और कहा, दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दें। सेना की कमान संभालने के बाद नरवाने का कश्मीर घाटी का यह पहला दौरा है।

**बिजनेस** ▶ पृष्ठ 12

### कर्ज रफ्तार बढ़ाने को बैंकों का दौरा करेंगी वित्त मंत्री

**नई दिल्ली** : सरकार के आश्वस्त करने के बावजूद बैंकों की तरफ से उद्योग जगत को दिए जाने वाले कर्ज की रफ्तार बहुत बढ़ नहीं रही है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसला किया है कि वे बैंक शाखाओं का दौरा करेंगी व कर्मचारियों में भरोसे का संचार करेंगी।

**अंतरराष्ट्रीय** ▶ पृष्ठ 13

### इमरान सरकार ने नवाज शरीफ को घोषित किया भगोड़ा

**इस्लामाबाद** : पाकिस्तान ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत रद करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। भ्रष्टाचार मामले में सात साल की सजा काट रहे शरीफ को पिछले साल 29 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों पर आठ हफ्ते की जमानत दी थी। वह 19 नवंबर को इलाज के लिए लंदन गए थे, लेकिन तब से वापस नहीं लौटे।

# समस्या पुलिस का पेशेवर और स्वतंत्र न होना

**सुप्रीम टिप्पणी** ▶ इसी कारण भीड़ को भड़काने वालों को जाने दिया गया, दिल्ली हिंसा पर जताई नाराजगी, पर मामले पर विचार से इन्कार

## शाहीन बाग खाली कराने पर सुनवाई 23 मार्च तक टाली, कहा-अभी माहौल ठीक नहीं

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए)को लेकर दिल्ली में भड़की हिंसा में लोगों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, पुलिस ने कार्रवाई में तत्परता नहीं दिखाई। पुलिस को कार्रवाई के लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं होती। यहां समस्या पुलिस में पेशेवर रवैये की कमी और स्वतंत्र न होना है। इसी के चलते भीड़ को भड़काने वालों को जाने दिया गया। ब्रिटेन व अमेरिका की पुलिस का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा, उसी तर्ज पर यहां भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। क्या वहां की पुलिस किसी आदेश का इंतजार करती है? अगर किसी ने भड़काऊ भाषण दिया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर दिल्ली पुलिस के रवैये पर टिप्पणियां तो की, पर इस मामले में सुनवाई करने से इन्कार करते हुए कहा, उसके सामने सिर्फ शाहीन बाग मामला लंबित है। पुलिस-प्रशासन को काम करने देना चाहिए। कोर्ट न तो आदेश दे रही है और न ही रोक रही है।

नई दिल्ली में हिंसक झड़पों के बाद बुधवार को प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बीच लगभग शांति रही। इस दौरान अपने बच्चे के साथ गुजरती महिला। रायटर

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और केएम जोसेफ की पीठ ने कहा, उसके सामने विचार के लिए सिर्फ इतना मुद्दा है कि सीएए का विरोध करने वाले शाहीन बाग में सड़क पर बैठ सकते हैं या नहीं। लेकिन इस पर उन्हें अभी सुनवाई का माहौल नहीं लग रहा। माहौल के ठंडा होने के बाद ही सुनवाई की जाएगी। पीठ ने सुनवाई 23 मार्च तक के लिए टाल दी। शांति बनाए रखने की अपील के साथ कोर्ट ने कहा है कि किसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा नहीं होनी चाहिए।

शाहीन बाग खाली कराने के मामले में दो याचिकाएं वकील अमित साहनी और भाजपा नेता नंद किशोर गर्ग ने दायर की है। इसमें शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने और दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली सड़क खाली कराने की मांग की गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन की रोक के बारे में दिशानिर्देश भी मांगे गए हैं।

> हम पहले की सुनवाई में कह चुके हैं और बार-बार नहीं कह सकते कि प्रदर्शनकारियों को विरोध करने का हक है, लेकिन वे सड़क को जाम नहीं कर सकते।- सुप्रीम कोर्ट

### 1984 जैसे हालात नहीं बनने दे सकते : हाई कोर्ट

**नई दिल्ली** : उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकारा। कोर्ट ने कहा, हम दिल्ली में वर्ष 1984 की स्थिति नहीं बनने दे सकते। दिल्ली जल रही और हम कार्रवाई नहीं कर रहे। कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा और भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआइआर नहीं दर्ज करने पर कड़ी नाराजगी जताई। (पेज-5)

### चौथे दिन हिंसा पर लगी लगाम

**नई दिल्ली**: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के मैदान में उतरने व दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश का असर देखा। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो उत्तर-पूर्वी जिले में बुधवार को हिंसा थम गई। सड़कों पर हालात नियंत्रित रहे, इक्का-दुक्का जगहों में आगजनी की घटनाएं हुईं। हिंसा में आइबी कांस्टेबल अंकित शर्मा सहित 14 और लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इससे मृतकों की संख्या अब 24 हो गई है। (पेज-5)

### शांति और सौहार्द बनाए रखें : मोदी

दिल्ली हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। पीएम ने कहा, 'दिल्ली के सभी भाई-बहनों से उनकी अपील है कि वे हमेशा शांति और भाईचारा बनाए रखें।' मोदी ने ट्वीट किया, 'हालात की गहन समीक्षा की। पुलिस व अन्य एजेंसियां शांति और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है।'

इस बीच, पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद व एक अन्य की ओर से नई अर्जी दाखिल कर कोर्ट से दिल्ली हिंसा के मामले में सुनवाई करने और जांच कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने अर्जी पर विचार करने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट मामला सुन रहा है ऐसे में वह ही सुनवाई करे।

शाहीन बाग पर वार्ताकारों की रिपोर्ट के बारे में कोर्ट ने कहा उसमें काफी किंतु-परंतु हैं। हालांकि वार्ताकारों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें प्रयास जारी रखने को कहा। दिल्ली में हिंसा पर जस्टिस केएम जोसेफ ने जब कुछ कहना चाहा तो केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आग्रह किया कि कोर्ट हिंसा के बारे में कोई टिप्पणी न करे यह ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जस्टिस जोसेफ ने कहा कि वह संस्था और संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं और अगर वे नहीं कहेंगे तो अपने कर्तव्य में विफल होंगे। उन्होंने कहा कि हिंसा में लोगों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि अगर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की होती तो हिंसा को भड़कने से रोका जा सकता था।

पुलिस पर प्रतिकूल टिप्पणियां न करने का आग्रह पेज>>5

# जम्मू-कश्मीर में लागू होंगे 37 केंद्रीय कानून

**नई दिल्ली, एजेंसियां** : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में समवर्ती सूची में शामिल 37 केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक आदेश जारी किया है। यह फैसला पूरे देश में एक विधान के पालन के लिए किया गया है। साथ ही जम्मू और कश्मीर में प्रशासन का प्रभावी होना सुनिश्चित करने और सुगमता से बदलाव करने के लिए किया गया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अभी तक कश्मीर घाटी में जो 37 कानून लागू नहीं थे, वह अब लागू हो जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पूरे देश में संविधान के तहत पारित कानून लागू हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में संविधान के पालन में कोई अस्पष्टता न रहे। यह वह केंद्रीय कानून हैं जिनमें बदलाव और संशोधनों की जरूरत है। इन केंद्रीय कानूनों को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा-96 के तहत अंगीकार किया जा रहा है। इस धारा के तहत केंद्र सरकार को कानूनों में समायोजन और बदलाव करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ऐसा कानून भंग करके या उसमें संशोधन करके कर सकती है।

इसके बाद जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू सभी केंद्रीय कानून अब पुनर्गठित जम्मू और कश्मीर में 31 अक्टूबर, 2019 लागू होंगे। ध्यान रहे कि इसी अधिनियम को संसद में पारित करके पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाया गया था। साथ ही इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। इसमें जम्मू और कश्मीर विधानसभा के साथ था और लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके चार दिन बाद 9 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी देकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विभाजन को मूर्त रूप दे दिया था।

**एक विधान**

- समवर्ती सूची के कानूनों पर कैबिनेट फैसला
- प्रभावी प्रशासन, सुगम बदलाव लाना मकसद

### विधवाएं और तलाकशुदा महिलाएं भी बन सकेंगी सरोगेट मदर

**नई दिल्ली**: केंद्रीय कैबिनेट ने सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल 2020, को मंजूरी दे दी है। इसके जरिये किसी भी इच्छुक महिला को सरोगेट मदर बनने का अधिकार हासिल होगा। विधवाएं व तलाकशुदा भी सरोगेट मदर बन सकेंगी। (पेज-3)

### टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की 1,480 करोड़ की योजना मंजूर

**नई दिल्ली**: कैबिनेट ने टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत 1,480 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई। मकसद टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़े आइटम का घरेलू निर्माण एवं विश्व व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। (पेज-12)

### रांची में लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषी करार

**रांची** : झारखंड की राजधानी रांची में लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 आरोपित दोषी करार दिए गए हैं। जिला अदालत दोषियों को 2 मार्च को सजा सुनाएगी। अदालत ने कहा, अभियुक्तों ने सोच-समझ कर षड्यंत्रपूर्वक एक छात्रा का अपहरण कर निर्ममता पूर्वक घटना को अंजाम दिया। (पेज-7)

### बूंदी में रेलिंग विहीन पुल से नदी में गिरी मिनी बस, 24 की मौत

**जयपुर**: राजस्थान के बूंदी जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के पापड़ी गांव के पास बुधवार को एक मिनी बस रेलिंग विहीन पुल से मेज नदी में जा गिरी। हादसे में बस सवार 29 में से 24 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 पुरुष, 11 महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं। ये सभी एक शादी समारोह में शामिल होने कोटा से सवाई माधोपुर जा रहे थे। (पेज-15)

# मेरी भारत यात्रा बेहद सफल रही : ट्रंप

**वाशिंगटन, प्रेट्र** : भारत के दो दिन के दौरे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस अपने देश लौट गए हैं। भारत में उनका जोरदार स्वागत सत्कार हुआ, जिससे वो बेहद गदगद हैं। भारत को महान देश बताते हुए ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उनकी यात्रा बेहद सफल रही।

राष्ट्रपति ट्रंप अपने कार्यकाल के आखिरी साल में अपने पहले दौरे पर 24 फरवरी को भारत आए थे। उनके साथ पत्नी मेलानिया, बेटी व सलाहकार इवांका ट्रंप, दामाद जेरेड कुशनर समेत प्रशासन के उच्चाधिकारियों का शिष्टमंडल भी आया था। इनमें अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन भी शामिल थे। दो दिन के दौरे में वह आगरा भी गए और मेलानिया संग ताज का दीदार किया।

भारत के 36 घंटे का दौरा खत्म कर लौटते ही ट्रंप ने ट्वीट किया, 'अभी-अभी लैंड किया हूं। भारत महान है, यात्रा बेहद सफल रही।' इससे पहले, ट्रंप जब यात्रा खत्म कर रवाना हुए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर आने के लिए उनका धन्यवाद किया था।

ट्रंप ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत 24 फरवरी को अहमदाबाद से की थी। वह अमेरिका से सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे थे। जहां से पहले साबरमती आश्रम जाकर बापू को नमन किया और फिर मोटेरा स्टेडियम में अपने स्वागत समारोह में पहुंचे। ट्रंप के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम और वहां से मोटेरा स्टेडियम तक लोग सड़क की दोनों तरफ खड़े थे। स्टेडियम में लगभग सवा लाख से ज्यादा लोगों ने ट्रंप का स्वागत किया था। वहीं से वो आगरा चले गए थे और उसी दिन शाम को दिल्ली आए थे।

ट्रंप की यात्रा के दौरान तीन अरब डॉलर (लगभग 21 हजार करोड़ रुपये) के रक्षा सौदों समेत कई करार भी हुए हैं। साथ कई ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति भी बनी है।

- परिवार व अधिकारियों के साथ दो दिन की यात्रा पर 24 फरवरी को भारत आए थे
- इस दौरान लगभग 21 हजार करोड़ रुपये के रक्षा सौदों समेत कई करार भी हुए हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप बुधवार को स्वदेश पहुंच गए। एएफपी

# पत्नी और बेटे के साथ जेल गए आजम

**जागरण संवाददाता, रामपुर**

बार-बार वारंट जारी होने के बाद भी अदालत में पेश न होने वाले सपा सांसद आजम खां को बुधवार को पत्नी विधायक तजीन फात्मा तजीन और बेटे अब्दुल्ला के साथ जेल भेज दिया गया। रामपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट के जज धीरेंद्र कुमार ने यह आदेश अब्दुल्ला का जन्म प्रमाणपत्र दो बार बनवाने के मामले में दिया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख दो मार्च तय की है। आजम के पहुंचने पर कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पूरा परिसर सपा कार्यकर्ताओं से भरा रहा।

दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम, तजीन व अब्दुल्ला आरोपित हैं। कोर्ट की ओर से कई बार वारंट जारी होने के बाद भी तीनों अदालत में पेश नहीं हुए। इस पर मंगलवार को तीनों के खिलाफ अदालत ने कुर्की के आदेश के साथ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। बुधवार को तीनों ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए तारीख लगाते हुए उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए।

**यह है पूरा मामला** : भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने चार जनवरी, 2019 को रामपुर की गंज कोतवाली में तीनों के खिलाफ तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए हैं। एक प्रमाणपत्र रामपुर नगर पालिका से और दूसरा लखनऊ के अस्पताल से जारी किया गया। पुलिस ने सांसद आजम खां, उनकी पत्नी तजीन और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस की ओर से तीनों के खिलाफ अप्रैल 2019 में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई थी। इसके बाद अदालत ने सुनवाई शुरू की। तब से तीनों कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे।

आजम पर हैं 70 मुकदमे, 17 में जमानत के लिए पेश हुए पेज>>4

- बेटे का दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खान बुधवार को न्यायिक हिरासत में जाने से पहले। आजम अपने बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र और पासपोर्ट मामले में जेल भेजे गए हैं। प्रेट्र

### वुहान से आज वापस लाए जाएंगे 80 भारतीय नागरिक

**नई दिल्ली**: कई दिनों के असमंजस के बाद भारतीय वायु सेना का मालवाहक विमान वुहान से भारतीयों को लाने के लिए बुधवार को चीन रवाना हुआ। 80 भारतीयों और पड़ोसी देशों के 40 नागरिकों को लेकर विमान गुरुवार को लौटेगा। विमान से वुहान में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की मदद के लिए 15 टन मेडिकल सामग्री भी भेजी गई है। (पेज-13)

### टी-20 विश्वकप : जीत की हैट्रिक लगाने उतरेंगी भारतीय महिलाएं

**मेलबर्न** : पहले दो मैचों में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश पर जीत से उत्साह से भरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम गुरुवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप के अपने अगले मैच में जीत की हैट्रिक पूरी करके सेमीफाइनल के करीब पहुंचने की कोशिश करेगी। भारत अभी पांच टीमों के ग्रुप-ए में दो मैचों में चार अंक लेकर शीर्ष पर है। (पेज-14)

## सियासत

सावरकर की 54वीं पुण्यतिथि के मौके पर बुधवार को देवेंद्र फड़नवीस ने रखा प्रस्ताव, उपमुख्यमंत्री व राकांपा नेता अजीत पवार ने भाजपा पर लगाए आरोप

# महाराष्ट्र के दोनों सदनों में सावरकर के सम्मान की मांग नामंजूर

**राज्य ब्यूरो, मुंबई**

स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को सम्मान देने का प्रस्ताव लाने की मांग बुधवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधानपरिषद में नामंजूर कर दी गई। भाजपा ने इस आशय का प्रस्ताव लाने की मांग की थी।

वीर सावरकर के नाम से मशहूर विनायक दामोदर सावरकर की बुधवार को 54वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और अब नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने विधानसभा में मांग रखी कि शिवसेनानीत महाविकास आघाड़ी सरकार स्वतंत्रता संग्राम में वीर सावरकर के योगदान पर चर्चा और उनके सम्मान का प्रस्ताव लाए। भाजपा द्वारा उठाई गई इस मांग के समय मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे सदन में मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में

नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस फाइल

मोर्चा संभालते हुए उपमुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजीत पवार ने फड़नवीस की मांग पर भाजपा को ही निशाने पर ले लिया। अजीत पवार ने कहा कि जब फड़नवीस खुद मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दो बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की थी। उन्होंने पहली बार 20 अगस्त, 2018 को और दूसरी बार 17 जनवरी, 2019 को पत्र लिखा था। उस समय केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की ही सरकारें थीं।

अजीत पवार ने सवाल किया कि मोदी छह साल से केंद्र की सत्ता में हैं और फड़नवीस भी पांच साल सत्ता में रहकर गए। इसके बावजूद सावरकर को यह सम्मान देने में देर क्यों हुई? इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष पटोले ने भाजपा द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव नामंजूर कर दिया।

माना जा रहा है कि 30 साल भाजपा के सहयोगी के रूप में सावरकर के पक्ष में खड़ी दिखाई देने वाली शिवसेना अब सावरकर के मुद्दे पर सरकार को किसी संकट में नहीं डालना चाहती। चूंकि भाजपा 15 दिन पहले ही सावरकर की पुण्यतिथि के दिन उन्हें सम्मानित करने की मांग का प्रस्ताव लाने की सूचना दे चुकी थी इसलिए बुधवार को बड़ी चतुराई से उद्धव ने सदन से दूरी बनाकर रखी और भाजपा को जवाब देने की जिम्मेदारी राकांपा के अजीत पवार ने संभाली।

### उद्धव सरकार ने पलटा फड़नवीस का फैसला

**ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई** : शिवसेना की अगुआई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने पूर्ववर्ती देवेंद्र फड़नवीस सरकार के फैसले को पलटते हुए सरपंचों के सीधे चुनाव की पद्धति समाप्त कर दी है। अब जनता द्वारा चुने गए पंचायत सदस्य ही सरपंच का चुनाव करेंगे। सरकार का यह निर्णय कांग्रेस-राकांपा को ग्रामीण स्तर पर पांव जमाने में मददगार साबित होगा। उद्धव सरकार ने मंगलवार को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कानून में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया, जो उसी दिन पास भी हो गया। इसके अनुसार, अब ग्रामीण पहले पंचायत सदस्यों का चुनाव करेंगे। फिर निर्वाचित पंचायत सदस्य सरपंच चुनेंगे। ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रिफ ने कहा,भारत ने लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई है। इसमें इसी प्रकार चुनाव होता है। पहले अपनाई गई पद्धति राष्ट्रपति प्रणाली की तरह थी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इस्तेमाल होती है। पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई सीधे चुनाव की प्रणाली में यदि सरपंच एक पार्टी का एवं शेष सदस्य दूसरी पार्टी के हुए तो निर्णय करने में दिक्कत आती थी। इस आशय की तमाम शिकायतें आ रही थीं, इसलिए इस प्रणाली में बदलाव का निर्णय करना पड़ा।

खोई जमीन पाना चाहती है कांग्रेस-राकांपा पेज>>4

# कैग ऑडिट में सामने आया नोएडा में तीस हजार करोड़ का घोटाला

**राज्य ब्यूरो, लखनऊ**

विकास के साथ घोटाले का अड्डा बनते गए नवीन ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (नोएडा) और ग्रेटर नोएडा से जुड़ा बड़ा राजफाश हुआ है। यहां सपा और बसपा सरकार में जमकर लूट मची रही। नियंत्रक- महालेखा परीक्षक (कैग) के ऑडिट में नोएडा का तीस हजार करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है।

बजट सत्र के दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में नोएडा घोटाले से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि अभी नोएडा का दस वर्ष का ऑडिट कैग से कराया है, जिसमें तीस हजार करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आई है। योगी ने कहा कि अभी ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की भी जांच कराई जाएगी, जिससे कई लोगों की मुश्किल बढ़ेगी। औद्योगिक विकास विभाग के सूत्रों ने बताया कि योगी सरकार ने कैग से नोएडा और ग्रेटर नोएडा का वर्ष 2007 से 2017 तक ऑडिट कराया है। दोनों ही रिपोर्ट में हजारों करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। जांच में पाई गई अनियमितताओं पर संबंधित प्राधिकरणों से जवाब-तलब किया है। ज्ञात हो, प्रदेश में 2007 से 2012 तक बसपा और 2012 से 2017 तक सपा की सरकार रही।

योगी आदित्यनाथ फाइल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में खोली सपा और बसपा शासन की कलई

यादव सिंह की तरह फंसेगी कई की गर्दन पेज>>2